न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 05 / 2022

प्रार्थीः–

1. सोहनलाल पुत्र टीकमराम जाति सीरवी निवासी सियाट तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

अप्रार्थीः–

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र सिंगाड़िया अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 27/04/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सियाट में वर्तमान खसरा नम्बर 10, 12, 146, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कुल खसरा 15 कुल रकबा 57.0300 हैक्टर की भूमि प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आयी हुई है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/144 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस भूमि पर प्रार्थी 1/144 हक हिस्सा उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है ।आज भी मौके पर काबिज काश्त हैं उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना प्रार्थी के सही व वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नहीं कर बचपन का नाम सोनाराम पुत्र टीकमराम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम सोहनलाल पुत्र टीकमराम है प्रार्थी को घर परिवार समाज में बचपन में सोहनलाल के नाम से ही पुकारते थे। इसलिये राजस्व कर्मचारियो के द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज सोनाराम दर्ज करने की भूल की है। बल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम सोहनलाल ही है तथा प्रार्थी को गांव परिवार समाज में सोहनलाल के नाम से ही जाना व पहिचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम सोहनलाल ही है अर्थात् वादस्थ कृषि भूमि में सोनाराम, सोहनलाल प्रार्थी ही है तथा प्रार्थी को सोहनलाल के नाम से ही सम्बोधित किया जा रहा है। सोनाराम एवं सोहनलाल पुत्र टीकमराम नाम का एकमात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है इसके अलावा अन्य कोई परिवार में व्यक्ति नहीं है। राजस्व कर्मचारियों राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सोहनलाल के स्थान पर सोनाराम दर्ज करने की जानकारी पूर्व में नहीं थी। प्रार्थी अनपढ़, निरक्षर व्यक्ति होने से तथा राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं होने उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में जानकारी पूर्व में नहीं हो पायी। अभी वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

दिनांक 30/11/2021 को प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने से सम्बन्धित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु कहा जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में सोहनलाल दर्ज न होकर सोनाराम नाम दर्ज होने की जानकारी दी जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित कर्मचारी के द्वारा प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सोहनलाल दर्ज न कर सोनाराम पैन ऑफ मिसटेक, सद्भाविक त्रुटि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जिसे प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी का नाम सोहनलाल के स्थान पर सोनाराम दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड़ रहा हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सोजत कार्यालय में निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरूस्ती श्रीमान के क्षेत्राधिकार का होने से दुरूस्त नहीं किया गया। इसलिए उक्त आशय का प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादस्त कृषि भूमि सरहद मौजा सियाट में स्थित है होने से न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सोनाराम के स्थान पर सोहनलाल के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 1 में वर्णित भूमि मौजा सियाट में स्थित होना स्वीकार किया तथा हिस्सा से सम्बंधित तथ्य स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 व 3 प्रार्थी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 4, 5 व 6 कानूनी होना अंकित किया। बहस अधिवक्तागण प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्तागण प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सरहद मौजा सियाट में वर्तमान खसरा नम्बर 10, 12, 146, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कुल खसरा 15 कुल रकबा 57.0300 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज सोनाराम के स्थान पर सही व वास्तविक रूप से सोहनलाल दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबुत यथा आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, पैन कार्ड, विघुत बिल, परिवार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान का प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण पत्र में प्रार्थी का नाम सोहनलाल दर्ज है। जिससे प्रार्थी का सही नाम सोनाराम के स्थान पर सोहनलाल दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

जाना उचित समझते हे। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा सरहद मौजा सियाट में वर्तमान खसरा नम्बर 10, 12, 146, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कुल खसरा 15 कुल रकबा 57.0300 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज सोनाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम की संपुष्टि हो जाने से सोहनलाल दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सरहद मौजा सियाट में वर्तमान खसरा नम्बर 10, 12, 146, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कुल खसरा 15 कुल रकबा 57.0300 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज सोनाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम सोहनलाल की संपुष्टि हो जाने पर दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 27/5/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत